कार्यालयः– जनपद न्यायाधीश कासगंज।

कोटेशन –सूचना

एतदद्वारा सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है, कि माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज के स्वीकृत आदेश दिनांकित 04.02.2022 के द्वारा ग्रामोद्योग सेवा संस्थान से जनपद न्यायालय कासगंज के अन्तर्गत सिविल मद सं0 105–03–11–लेखन सामग्री क्रय एवं फर्मो की छपाई में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त होने के सापेक्ष दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों एवं कार्यालयों मे प्रयुक्त होने वाले प्रिंटेड फाइल कवर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किये जाते है उक्त अधिकृत फर्मो को कोटेशन के लिये दी गयी शर्तो का कड़ाई से पालन करना होगा।

1– कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारत कासगंज में दिनांक 14.02.2022 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।

2–कोटेशन दिनांक 14.02.2022 को सायंकाल 4.45 बजे क्रय समिति जनपद न्यायायल कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।

3– किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।

4– किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

5–कोटेशन खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

6–कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

7– भुगतान लेखन सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

8–कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का छेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।

9–कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10–कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक– 04.02.2022

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
कासगंज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01–जिला सूचना अधिकारी कासगंज को G.O.No.562/ उन्नीस–2–2007–1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त सीनीय समाचार पत्रों में निःशुल्क कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

02– 18 न्यायायल कक्ष भवन जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

03–कलेक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु।

04–समस्त सार्वजनिक स्थान कासगंज पर चस्पा करने हेतु।

05–नोडल अधिकारी कंप्यूटर को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक–04.02.2022

(विजेश कुमार)
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
कासगंज।